# B.N. College, Bhagalpur

A Constituent unit of Tilka Manjhi Bhagalpur University

## *Department of History*

***Topic : Mauryan Administration***

*Prepared by : Sri Pinku kumar*
*Asst. Professor (Dept. of History)*
*B.N. College Bhagalpur*
*Contact (whatsApp) no- 7982166260*
*Email id- kpinku348@gmail.com*

# मौर्यकालीन प्रशासन

- मौर्य प्रशासन की जानकारी हमें कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र', मेगास्थनीज की 'इंडिका' एवं अशोक के शिलालेखों से मिलती है। मौर्य प्रशासन का उद्देश्य राज्य को स्थायित्व प्रदान करना, अधिक से अधिक कर वसूल करना एवं लोक कल्याणकारी कार्य करना था।
- मौर्य  प्रशासन की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुई परंतु आगे भी यह व्यवस्था परिवर्तित एवं संशोधित रूप में चलती रही।
- मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। परंतु प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को चार प्रमुख प्रांतों में विभाजित किया गया था।
- अशोक के शिलालेखों में चार प्रांतीय राजधानियों के नाम  का उल्लेख किया गया है। पूर्वी क्षेत्र की राजधानी तोसली, उत्तरी क्षेत्र की राजधानी तक्षशिला, पश्चिमी क्षेत्र की राजधानी उज्जैन जबकि दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी सुवर्णगिरी थी। मौर्य प्रशासन को निम्न शीर्षकों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है।

# केंद्रीय प्रशासन

## राजा

- मौर्यकाल में प्रशासन मुख्य रूप से राजा में ही निहित था। प्रशासन के प्रमुख अंगों कार्यपालिका, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका पर उसका नियंत्रण होता था। उसे कानून बनाने का अधिकार प्राप्त था। कौटिल्य के अनुसार राज्य के सात अंगों में राजा केंद्र में था।
- आमात्यों की नियुक्ति एवं उसका निष्कासन तथा प्रजा की उन्नति एवं कल्याण उसका मुख्य कार्य था।
- अशोक के समय राजत्व की अवधारणा में परिवर्तन आया। उसने राजत्व में देवत्व का आरोपण किया वह स्वयं को 'देवानापियदस्सी' कहता था। उसने राजा और प्रजा के स्थान पर पिता और पुत्र का संबंध विकसित किया। धौली अभिलेख में वह कहता है 'सारी प्रजा मेरी संतान है।' इस प्रकार राजतंत्र ने पैतृक निरंकुशता का रूप धारण कर लिया

# मंत्रिपरिषद

- कौटिल्य की अर्थशास्त्र एवं अशोक के शिलालेख में मंत्रिपरिषद के बारे में चर्चा की गयी है। पतंजलि द्वारा रचित महाभाष्य में भी चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में सभा का वर्णन किया गया है।
- मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव योग्यता के आधार पर किया जाता था। पुरोहित, सेनापति, सन्निधाता और युवराज सम्राट के मंत्रिपरिषद के प्रमुख सदस्य थे।
- राजा को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद थी और कभी-कभी वह राजनीतिक अवरोध का कार्य करती थी किंतु परिषद के अधिकार सीमित थे क्योंकि मंत्री की नियुक्ति राजा के द्वारा ही की जाती थी।
- मंत्रियों के लिए कुछ अहर्ताएं निर्धारित थी- उच्च कुल में जन्मा हो, धन लोभी ना हो, चरित्रवान हो। कुल मिलाकर मंत्रीपरिषद एक परामर्श देने वाली समिति थे

# नौकरशाही

- मौर्य प्रशासन में एक विस्तृत एवं श्रेणीबद्ध नौकरशाही का अस्तित्व था। राज्य के विभिन्न विभागों की देखभाल के लिए 18 तीर्थों (आमात्यों) के अतिरिक्त 27 प्रकार के अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है।
- इनमें तीर्थ थे- सन्निधाता (कोषाध्यक्ष), समाहर्ता (मुख्य संग्रहकर्ता) तथा अध्यक्षों में सीताध्यक्ष (जो राजकीय भूमि की देखभाल करता था) तथा आकाराध्यक्ष आदि।
- ये अध्यक्ष राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के अतिरिक्त सामाजिक-आर्थिक जीवन को भी नियंत्रित करते थे। इन अध्यक्षों की सहायता के लिए अन्य कई निम्न स्तर के अधिकारी भी होते थे।
- इस प्रकार मौर्य नौकरशाही पिरामिड के समान थी जिसमें सर्वोच्च पद वाले को 48000 पण वेतन तथा निम्न स्तर वाले को 10 पण मिलता था

# गुप्तचर प्रशासन

- संभवतः मौर्यकाल में सर्वप्रथम गुप्तचरों को इतने बड़े स्तर पर नियुक्त किया गया। राज्य को आंतरिक विद्रोह व बाहरी आक्रमण से बचाने में गुप्तचरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी।
- यह राज्य की सुरक्षा संबंधी सूचना सेना को देते थे। उल्लेखनीय है कि इस काल में स्त्रियाँ भी यह कार्य करती थीं। ये गुप्तचर युवराज से लेकर जनसाधारण तक की गतिविधियों पर नजर रखते थे
- मौर्यकाल में 'संस्था' और 'संचरा' नामक दो गुप्तचर संस्थाएं अस्तित्व में थीं। संस्था एक ही स्थान पर संस्थाओं में गठित होकर गृहपतिक, वैदेहक, तापक आदि के रूप में कार्य करते थे जबकि संचरा भ्रमण कर सूचनाएं एकत्रित करते थे।

# न्याय एवं दंड व्यवस्था

- मौर्य काल में सुदृढ़ न्याय एवं दंड व्यवस्था मौजूद थी। यद्यपि न्याय व्यवस्था का प्रधान भी राजा था तथापि राजा की तरफ से अनेक न्यायालय स्थापित किए गए थे।
- सबसे ऊपर केंद्रीय न्यायालय > जनपद न्यायालय > स्थानीय न्यायालय > द्रोणमुख न्यायालय > संग्रहण न्यायालय >सबसे नीचे ग्राम न्यायालय था।
- न्यायालय दो प्रकार के थे- धर्मस्थीय (दीवानी) एवं कंटकशोधन (फौजदारी न्यायालय)। अपराधियों को अंग-भंग एवं मृत्युदंड की सजा दी जाती थी।
- इस न्याय व्यवस्था का उद्देश्य आर्थिक व्यवस्था, कर वसूली का सुचारू रूप से संचालन करना था। साथ ही विशाल मौर्य साम्राज्य की जटिल एवं वृहत सामाजिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था में व्यवधान का निदान करना था।

# सैन्य प्रशासन

- मौर्यकाल में साम्राज्य के विस्तार का एक प्रमुख कारण उनकी संगठित व सुव्यवस्थित सेना थी। मौर्यकाल में पैदल सेना, घुड़सवार सेना, गज सेना, रथ सेना व नौ सेना प्रमुख थी। यह सेनाएं किसी भी दशा में राज्य की सुरक्षा करने में सक्षम थीं।
- सैन्य प्रबंध के सर्वोच्च अधिकारी को अंतपाल कहा जाता था। यूनानी लेखक ने अपनी पुस्तक में मौर्यकालीन सेना का वर्णन किया है, मेगास्थनीज़ के अनुसार मौर्य सेना में 6 लाख पैदल सेना, 50 हज़ार घुड़सवार सैनिक, 9 हज़ार हाथी और 800 रथसवार सैनिक थे।
- अर्थशास्त्र एवं मेगास्थनीज में सैन्य प्रशासन की विस्तृत चर्चा की गई है। कौटिल्य के अनुसार चतुरंग सेना (पैदल, हाथी, घोड़ा तथा रथ) की उपस्थिति मौर्य साम्राज्य में थी। सैन्य अधिकारियों को नगद वेतन दिया जाता था।

# नागरिक प्रशासन

- मौर्यकालीन नगर व्यवस्था की जानकारी मेगास्थनीज़ की पुस्तक इंडिका से मिलती है। इस पुस्तक में मेगास्थनीज़ ने नगर के प्रशासन के लिए 6 समितियों का वर्णन किया है, यह 6 समितियां व उनके कार्य निम्नलिखित हैं :
-
- पहले समिति का संबंध शिल्प एवं उद्योग से, दूसरे का विदेशियों की देखभाल से, तीसरे का जनगणना से, चौथे का व्यापार व वाणिज्य से, पांचवें का विक्रय व्यवस्था से जबकि छठे का बिक्री से था।
- यूनानी लेखक मेगास्थनीज़ ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के समूह द्वारा किया जाता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थीं तथा प्रत्येक समिति के 5 सदस्य होते थे।

# राजस्व प्रशासन

- मौर्य साम्राज्य में आय का मुख्य स्रोत कृषि तथा अन्य भूमि करों से प्राप्त होने वाला राजस्व था। मौर्यकाल में भूमि,खानों, वनों, सड़कों, जुर्माना तथा कुछ गाँव द्वारा इकट्ठे दिया जाना वाला कर आदि राजस्व के प्रमुख स्त्रोत थे। कृषि योग्य भूमि पर कुल उत्पादन का एक चौथाई या छठा भाग भू-राजस्व या लगान के रूप में वसूल किया जाता था। कई क्षेत्रों में राज्य द्वारा सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती थी, ऐसे क्षेत्रों से 1/3 कर लिया जाता था।
- सरकारी खजाने से खर्च दो मुख्य मदों पर किया जाता था- कर्मचारियों का वेतन तथा सार्वजनिक निर्माण कार्य। सार्वजनिक निर्माण कार्यों का मुख्यतः सड़कों तथा विश्राम गृहों के निर्माण एवं रखरखाव में तथा सिंचाई व्यवस्था के निर्माण एवं बांधों के निर्माण में किया जाता था। सुदर्शन झील पर बांध इसका उदाहरण है।

# प्रांतीय प्रशासन

- मौर्यकाल में प्रशासन में कुशलता के लिए साम्राज्य को आरम्भ में चार प्रान्तों में बांटा गया था, बाद में अशोक के कार्यकाल में प्रान्तों की संख्या पांच हो गयी। यह पांच प्रान्त प्राची, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवन्ती राष्ट्र और कलिंग थे। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी, अवन्ती की उज्जयिनी, कलिंग की तोसाली और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी।
- प्रान्तों पर प्रशासन के लिए कुमार को नियुक्त किया जाता था, यह कुमार राज वंश से संबंधित होते थे। प्रातों को आगे भागों, जिले और ग्राम में बांटा जाता था। ग्राम, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। सभी प्रशासनिक इकाइयों में प्रशासन के लिए अलग-अलग अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी।
- प्रांतों में कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जिनका प्रशासन स्थानीय आबादी से किया जाता था जैसे चंद्रगुप्त के समय जूनागढ़ का गवर्नर पुष्यगुप्त था जबकि अशोक के समय यवनराज तुषाश्क था।

# स्थानीय प्रशासन (जिला प्रशासन/ ग्राम प्रशासन)

- प्रांतों का विभाजन जिलों में किया जाता था जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था जिनका प्रमुख विषयपति कहलाता था। जनपद का अधिकारी प्रदेष्टि, रज्जुक और युक्त होता था। अशोक के चौथे स्तंभ लेख में प्रजा कल्याण के लिए रज्जुकों की नियुक्ति का वर्णन है
- प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। गांव का प्रधान ग्रामिक कहलाता था। यहां गोप एवं स्थानिक नामक कर्मचारी होते थे। ये कर्मचारी राजस्व एकत्रण हेतु उत्तरदायी थे और अंत में मौर्य काल के प्रशासनिक संगठन में उच्च तथा निम्न स्तरों में भेदभाव पर प्रकाश डालना आवश्यक है।
- ऊपरी स्तर पर यह केंद्रीकृत एवं एक समान था। उच्च पदों के लिए व्यक्तियों का चुनाव सीधे राजा करता था और उन्हें उच्च वेतन दिया जाता था। निम्न स्तर पर तस्वीर सर्वथा भिन्न थी और नियंत्रण बहुत अधिक सीमा तक विकेंद्रीकृत था। निचले स्तर पर वेतन में बहुत अधिक कमी थी और उनमें से अधिकांश स्थानीय जनता में से भर्ती किए जाते थे